न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पिथौरागढ़।
फौजदारी वाद संख्या–565/2026
राज्य बनाम सूरज प्रसाद

दिनांक–13.07.2026

पुकार पर पत्रावली पेश। अभियुक्त सूरज प्रसाद मय विद्वान अधिवक्ता श्रीमती भावना जोशी उपस्थित। राज्य की ओर से विद्वान सहायक लोक अभियोजक श्री रितेश वर्मा उपस्थित।

अभियुक्त सूरज प्रसाद की ओर से जरिये अधिवक्ता धारा 60 संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 के तहत स्वेच्छया जुर्म संस्वीकृति प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया और अभियुक्त सूरज प्रसाद द्वारा धारा 60 संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 के अपराध की स्वेच्छया संस्वीकृति की गई।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि दिनांक 03.09.2025 को समय लगभग 11:50 बजे स्थान अभियुक्त की दुकान कुमौड तिराहे के पास पिथौरागढ अंतर्गत थाना क्षेत्र कोतवाली पिथौरागढ में पुलिस द्वारा आप अभियुक्त के कब्जे से 01 पव्वा मैकडॉवल नं0 1 XXX रम एवं 10 बोतल हरक्यूलिस XXX रम अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की गयी जिनको रखने की कोई वैध अनुज्ञप्ति अभियुक्त के पास नहीं थी। थाना कोतवाली पिथौरागढ द्वारा प्रस्तुत आरोप पत्र के आधार पर दिनांक 18.06.2026 को न्यायालय द्वारा अभियुक्त सूरज प्रसाद के विरुद्ध धारा 21/60 आबकारी अधिनियम, 1910 के अपराध का संज्ञान लिया गया। अभियुक्त सूरज प्रसाद आज न्यायालय उपस्थित है एवम् उसके द्वारा जुर्म संस्वीकारोक्ति बयान में जुर्म की स्वेच्छया स्वीकारोक्ति की गई है। अतः अभियुक्त को स्वेच्छया जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर धारा 60 आबकारी अधिनियम, 1910 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप में दोषसिद्ध किया जाता है। पत्रावली दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु कुछ समय पश्चात पेश हो।

(सुमन)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
पिथौरागढ़।

कुछ समय पश्चात

पत्रावली पेश। अभियुक्त को दण्ड के प्रश्न पर सुना गया। अभियुक्त द्वारा कहा गया कि वह गरीब व्यक्ति है तथा घर का अकेला कमाने वाला व्यक्ति है। अतः उसे कम से कम दण्ड से दण्डित किया जाए जबकि अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान अभियोजन अधिकारी द्वारा अभियुक्त को अधिक से अधिक दण्ड से दण्डित किये जाने का कथन किया गया। सुना। चूंकि अभियुक्त ने स्वेच्छया अपना जुर्म स्वीकार किया है तथा उसके द्वारा गरीब व्यक्ति होने व घर का अकेला कमाने वाला व्यक्ति होना अभिकथित किया गया है। अतः मामले के तथ्य व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये अभियुक्त को निम्नलिखित दण्ड से दण्डित किया जाना न्यायोचित है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त सूरज प्रसाद को अपराध अन्तर्गत धारा 60 आबकारी अधिनियम, 1910 में दोषसिद्ध करते हुये न्यायालय उठने तक की सजा एवम् मु0. 5,000/– रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अभियुक्त द्वारा अर्थदण्ड की धनराशि जमा नहीं किये जाने पर उसे 10 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। अभियुक्त से बरामद माल मुकदमाती अपील अवधि की समाप्ति होने पर नियमानुसार विनिष्ट किया जाये।

(सुमन)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
पिथौरागढ़।

<u>पुनःश्च</u>

अभियुक्त सूरज प्रसाद द्वारा अर्थदण्ड की समस्त धनराशि न्यायालय में जमा की गई। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(सुमन)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
पिथौरागढ़।